पत्र संख्या–14/डी0एल0ए0 (एन0पी0जी0सी0) औरंगाबाद– 125/13 –1893/रा –/– पटना, दिनांक–24-07-13

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू–अर्जन निदेशालय
बिहार ,पटना

अधिसूचना

तारीख.../.../2013

सं0...आर0

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता हैं कि गाँव – कुडवां थाना नं0 – **196**, परगाना– **सीरिस**, थाना– **बारूण**, जिला– औरंगाबाद मे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता हैं कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव– कुडवा के भीतर भूमि का एक टूकड़ा अपेक्षित हैं, जो मानक माप के कम वेश, जो 2.87 एकड़ के बराबर होता हैं और जिसकी अधिकृत खेसरा सं0 एवं चौहद्दी निम्न प्रकार हैं :–

अधिकृत खेसरा सं0 –

पूर्ण – 35, 36, 44, 121

अंश –

उतर :– 34, 43, 120

पूरब :– 38, 122 नहर, बांध

दक्षिण :– 36, 47, 127, 123 बांध

पश्चिम :– 38, 42, 127, नहर

यह अधिसूचना अधिनियम 1894 कि धारा 4 के उपबंधो के अधीन (यथा भू–अर्जन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती हैं जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता हैं। समाहर्ता, औरंगाबाद भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना के संबंध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे नवीनगर जेनरेटिंग पावर कारपोरेशन लि0 पटना के पदाधिकारी औंर कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उनका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम को धारा 17 (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने परियोजना की शीध्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A (2) के उपबंध लागू नहीं होंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

समाहर्ता
औरंगाबाद।

"सरकारी सेवा जनसेवा का माध्यम है। धर्म, ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें"।

– 1893/रा०

ज्ञाप सं0 – 14/डी0एल0ए0 (एन0पी0जी0सी0) औरंगाबाद– 125/13 / पटना, दिनांक–24-07-13

प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां में सी0 डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, औरंगाबाद को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू–अर्जन कार्यालय, औरंगाबाद को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. समाहर्त्ता, /जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0टी0, मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 22/7/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।